संख्या-34/2016/1217 ई-2/तेरह-2016-52/2005

प्रेषक,

विनोद कुमार तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 14 जून,2016

विषय:- मेसर्स कपिला कृषि उद्योग लि0, तातियागंज, मन्धना जी0टी0 रोड, कानपुर नगर की वार्षिक शीरा उपभोग क्षमता 1,44,000 कुण्टल से बढाकर 3,00,000 कुण्टल निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-12/दस-शीरा-140सी/5/वा0शी0उ0/2005-06, दिनांक 13 मई,2016 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 13 मई,2016 में की गई संस्तुति पर शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त मेसर्स कपिला कृषि उद्योग लि0, तातियागंज, मन्धना, जी0टी0 रोड, कानपुरनगर की वार्षिक शीरा उपभोग क्षमता 1,44,000 कुण्टल से बढाकर 3,00,000(तीन लाख) कुण्टल निर्धारित किये जाने की अनुमति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

कृपया तद्नुसार आगामी कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(विनोद कुमार तिवारी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in